न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

प्रकरण सख्या 23/2022(2022/88)

कालूराम पुत्र श्री पोखरलाल जाति बैरवा निवारी अरनिया नील तहसील टोंक जिला टोंक

--प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी -- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः–

1. हरिराम चौधरी–वकील प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

–:: आदेश ::– दिनांक– 12.03.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत 2022 मे पेश हुई। वादी के अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार उपस्थित प्रकरण मे पक्षकारान को सुना गया संक्षेप मे विवरण निम्न प्रकार है

वादी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र वर्णित आराजी वाके ग्राम मानखण्ड पटवार हल्का मानखण्ड तहसील केकडी जिला अजमेर राजस्थान के जमाबंदी संवत् 2072–76 के खाता नंबर 449 मे खसरा नंबर 2022 रकबा 1.24है मे हिस्सा 1/2 दर्ज है जिसमे प्रार्थी जरिये विक्रय पत्र के खातेदार कृषक होना जाहिर है किन्तु नकल जमाबंदी मे प्रार्थी का निवास स्थान ग्राम अरनिया नील, तहसील टोंक, जिला टोंक के स्थान पर जमाबंदी मे निवासी अरनिया नील, तहसील टोडारायसिंह, जिला टोंक अंकित कर दिया गया है जिससे सुधार कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है

हमने पत्रावली को दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया अप्रार्थी द्वारा दिनांक 12.3.2022 को जवाब व वाद ग्रस्त आराजी की नकल जमाबंदी तथा पंजीयन दस्तावेज विक्रय पत्र, कि छायाप्रति पेश कि है जिसमे प्रार्थी का पता कालूराम पुत्र पोखर लाल निवासी अरनिया नील तहसील टोक, जिला टोक राजस्थान अंकित है अप्रार्थी को उपरोक्त संशोधन किये जाने मे कोई आपत्ति न होना अवगत कराया है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे परिवर्तन बाबत् जमाबंदी 2072–76 व पंजीयन दस्तावेज के मुताबित प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार केकडी को निर्देशित किया जाता है कि वह ग्राम मानखण्ड तहसील केकडी के खाता स. 449 मे दर्ज खातेदार कालूराम पुत्र पोखरलाल बैरवा निवासी अरनिया नील तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक के स्थान पर कालूराम के नाम के आगे निवासी अरनिया नील तहसील टोक जिला टोंक किये जाने के आदेश दिया जाता है। तहसीलदार केकडी आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद की कार्यवाही करावे।खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश दिनांक 12.3.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में सरे इजलास सुनाया गया।

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.04.06 10:37:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

Scanned with CamScanner